# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी** :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

**वाद पत्र संख्या** :— 36/2022

**उनवान**

1. रामेश्वर पुत्र रामनाि जाति जाट निवासी परमानपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

**प्रार्थी**

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 गुल्ला पुत्र जवाहर
3 बालू पुत्र ग्यारसा
4 लादू पुत्र श्योबक्स
जाति जाट निवासी परमानपुरा तहसील शाहपुरा
5. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण
6 गोमा पुत्र रामू
7 नारंगी दवी पत्नि गिरधारी
8 राकेश पुत्र बद्रीनारायण
9 सुरेश पुत्र बद्रीनारायण
10 साधूराम पुत्र गिरधारी
11 हरफूल पुत्र गिरधारी
समस्त जाति मीणा निवासी परमानुपरा तहसील शाहपुरा

**अप्रार्थीगण**

12 कालूराम पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी परमानुपरा तहसील शाहपुरा

**तरतीबी अप्रार्थीगण**

**प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956**

**निर्णय दिनांकः 8.9.2022**

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 331 रकबा 0.34 है0, 382 रकबा 0.06 है0, 394. रकबा 1.01 है0 कुल किता 3 रकबा 1.41 है0, वाके ग्राम ग्राम परमानुपरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज रहकर उपयोग व उपभोग कर रहे है । जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2020/ 30 दिनांक 3.7.2020 की पालना में दिनांक 6.7.2020 को पटवारी हल्का म्हारखुर्द के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 6.7.2022 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है तथा सीमाज्ञान की अवहेलना करने की लगातार धमकी दे रहे है। जिस कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण सं0 11 उपंस्थित आये तथा कोई आपत्ति / जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया मया, शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना को कोई उपस्थित नहीं आये । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 6.7.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है तथा लगातार सीमाज्ञान की अवहेलना किये जाने की धमकी दी जा रही है

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे, ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा व आये दिन होने वाले विवादों से मुक्ति मिल सकें ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 6.7.2022 को पटवारी हल्का म्हारखुर्द के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का आवश्यक प्रकृति का मानते हुए तथा राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रार्थना पत्रों का शिघ्र निस्तारण हेतु आदि को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.34 है0, 382 रकबा 0.06 है0, 394 रकबा 1.01 है0 कुल किता 3 रकबा 1.41 है0, वाके ग्राम ग्राम परमानुपरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 6.7.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.9.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

( मुनमोहन मीना )
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर